

तारीख
हुकम -

96/04
ध

8 ¹/₂₆

पत्रावली पेशा वास्तु आदेश प्रा.पत्र दिनांक -
18/02/2006 को पेश हुई

18 ⁰²/₂₆

पत्रावली पेशा। शैलने बहुरस वकील प्रार्थी (रिस्पो.) ने कथन क्रिया के
जाने का पेश किया है। तदुसीलदार के आदेश
पर नामा. दर्ज कर तस्दीक किया गया है। T.O.R.
डिण्डोली के आदेश 13-06-2008 के विरुद्ध
स्थापलय अतिरिक्त जिला कलक्टर - बून्दी के
थहाँ अपील पेश की हुई है। हमने अपील की
प्रति पेश कर दी है। अतः तदुसीलदार के आदेश
की अपील के निस्तारण तक इस कार्यवाही को स्थगित
रखा जावे।

ध


शब्दन में वकील अप्रार्थी (अपीलान्ट) ने कथन
क्रिया की ना.संख्या - 949 दिनांक - 21/7/2008
के विरुद्ध अपील पेश की है। ग्राम पंचायत का
अधिकार क्षेत्र होने से वारिसान की जांच कर नामा.
श्वेला गया है। ग्राम पंचायत कोरम की मीटींग के
बाद तुरंत दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत के
नामा. की अपील इसी स्थापलय में दौली है। T.O.R.
डिण्डोली का निर्णय स्वारीज होने से यह नामा.करण
स्वारीज नही होगा। प्रा.पत्र स्वारीज किया जावे।

आ

हमने बहुरस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन
किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया। रिस्पो. द्वारा तदुसीलदार डिण्डोली के
आदेश दिनांक - 13/06/2008 प्रा.पत्र संख्या -
20/2008 के विरुद्ध अपील स्थापलय अति. जिला
कलक्टर (प्रशासन) बून्दी में अपील संख्या - 14/
अपील / 2021 संख्या 115 जमनादेवी दिनांक -

26/07/2021 को पेश की हुई है, जो विचाराधीन
चल रही है। हनुसीलशर हिण्डोली के जिस आदेश
दिनांक - 13/06/2008 से विवादित नामा संख्या
दर्ज किया है, उसकी अपीलिय - भागलम में
अपील विचाराधीन चल रही है। ऐसी स्थिति में
इक डी भूमि काबल पृथक - निर्णय होने की सम्भावना
बनी रहेगी। सा.फा. प्राचीन स्वीकार किया जाना
- भाग्योचित प्रतीत होता है।

अतः सा.फा. प्राचीन (रेस्पे.) स्वीकार
किया जाकर इस प्रकरण में कार्यवाही - भागलम
अतिरिक्त जिला क्लरर (प्रशासन) बून्दी में विचाराधीन
अपील - 14/2021 बुनवान संख्या 115 जमाना देवी के
निर्णय तक स्वयं की जाती है। अपील निर्णय
उपरान्त आवश्यकता होने पर प्रकरण में पुनः
सुनवाई की जा सकेगी। पत्रावली तारीख पेशी
से कम की जाकर अभिलेख में सुरक्षित रखी
जावे। निर्णय से इत्तलास सुनाया गया।


अध्यक्ष अधिकारी
हिण्डोली